राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 2100 / 2023 दिनांकः 31 जुलाई, 2023

कार्यालय आदेश

एच0एल0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ को उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः1686 / सत्तर–2–2005–2 (104) / 2005 दिनांकः 16.07.2005 द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 एवं विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी थी। अनापत्ति में अन्य शर्तों के अलावा क्रमांक 08 पर अंकित किया गया था कि उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू अभिलेखों में उल्लेखित ग्राम हरदुआगंज, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ में अवस्थित खसरा व गाटा संख्याः 1249 में अंकित कुल 2.204है0 भूमि पर ही मानकानुसार निर्मित भवन में संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

एच0एल0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ को उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 328 / सत्तर–2–2008–2 (485) / 2008 दिनांकः 28.08.2008 द्वारा बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी थी। अनापत्ति आदेश में अन्य शर्तों के अलावा क्रमांक 08 पर अंकित किया गया था कि उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू अभिलेखों में उल्लेखित ग्राम हरदुआगंज, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ में अवस्थित खसरा व गाटा संख्याः 1249 में अंकित कुल 2.204है0 भूमि पर ही मानकानुसार निर्मित भवन में संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पत्र संख्याः सम्बद्धन / 4157 / 10 दिनांकः 25.03.2010 द्वारा बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में दिनांकः 01.07.2009 से कतिपय शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

महाविद्यालय की भूमि का सत्यापन कर जाँच आख्या प्रेषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ को दिनांकः 09.01.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांकः 20.04.2023 में अंकित किया गया कि एच0एल0 डिग्री कालेज का निर्माण ग्राम मोरथल, परगना मोरथल, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के गाटा संख्याः 26 / 0.052है0 व 28 / 0.127है0 व 29 / 0.288है0 व 30 / 0.058है0 व 31 / 0.023है0 व 33 / 0.254है0 कुल 06 किता रकबा 0.802है0 में से रकबा 0.5727है0 में बना हुआ है। एच0एल0 डिग्री0 कालेज, बरौठा एवं हरदुआगंज में संचालित नहीं है। इस प्रकार एच0एल डिग्री कालेज का भवन बरौठा एवं हरदुआगंज में न होकर ग्राम मोरथल, तहसील कोल जिला अलीगढ़ में स्थित है।

महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति एवं सम्बद्धता पत्र में अंकित भूमि के अतिरिक्त स्थान पर महाविद्यालय संचालित होना पाये जाने के फलस्वरूप अध्यक्ष एच0एल0 डिग्री कालेज, प्रबन्ध समिति को कारण बताओं नोटिस दिनांकः 10.05.2023 एवं 23.05.2023 को प्रेषित किया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति एवं सम्बद्धता निरस्त कर दी जायेगी। महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा कोई उत्तर विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि महाविद्यालय को दी गयी

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

अनापत्ति एवं सम्बद्धता, पत्र में अंकित भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है जो नियम विरूद्ध है तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय के परिनियम में की गयी व्यवस्था के प्रतिकूल है।

महाविद्यालय का संचालन निर्देशित भूमि के अलावा अन्य स्थान पर पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण को विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांकः 05.07.2023 में प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त एच0एल0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ को बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0ए0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में दी गयी अनापत्ति एवं सम्बद्धता को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांकः 05.07.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन कार्य परिषद की बैठक दिनांकः 20.07.2023 में किया गया।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ की जाँच आख्या, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति को दिये गये कारण बताओं नोटिस, सम्बद्धता समिति एवं कार्य परिषद में लिये गये निर्णय के आलोक में मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार एच0एल0 डिग्री कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ कालेज कोड–2345 को बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0ए0 एवं बी0एससी0 में दी गयी अनापत्ति एवं सम्बद्धता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा सत्र 2023–24 से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है।

31/7/23

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ परिक्षेत्र।
6. प्राचार्य, एच0एल0 डिग्री0 कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़।
7. अध्यक्ष, जनता आदर्श शिक्षा समिति, ग्राम नगला बाटूल, पोस्ट नरूपुरा, जनपद अलीगढ़।
8. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त महाविद्यालय, के प्रवेश प्रतिबन्धित करें तथा महाविद्यालय लॉगिन को बन्द कर दे।
9. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र जनपद अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनहित में अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करनें का कष्ट करें।

31.07.23

सहा0 कुलसचिव